# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

**(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 12/2016 – निगरानी**

| | | |
|---|---|---|
| 1. ग्राम पंचायत पण्डेर , जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा<br>–निगराकार | बनाम | 1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी लादू लाल बैरवा निवासी पण्डेर , ग्राम पंचायत पण्डेर , पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा<br>– गैर निगराकार |

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994**

**निगरानी विरूद्व पट्टा सं. 13/554 दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 05/12.11.2012**

उपस्थित –

1. श्री कमल काष्ट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता गैर निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 22/2/2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 26.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पण्डेर के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा बिना किसी प्रकार की पत्रावली कायम किये पटटा सं. 13/554 दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 05/12.11.2012 को निशुल्क पटटा गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विरूद्व होने से निरस्त किया जाना न्यायसंगत है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में निशुल्क पटटा जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण है । पटटा जारी होने से पूर्व ही गैर निगराकार के पास पक्का आवासीय मकान है , ऐसी स्थिति में निशुल्क पटटा गैर निगराकार के पक्ष में जारी किया जाना अनुचित है । गैर निगराकार के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि प्रार्थना पत्र विनियमितिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है , जबकि वास्तव में विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान इत्यादि नहीं बना हुआ है , ऐसी स्थिति में विनियमितीकरण का मामला नहीं बनता है तथा गैर निगराकार को जानबूझकर अनुचित लाभ प्राप्त करने व देने की गरज से विवादित पटटा जारी किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य

है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पटटा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है। गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि है एवं आय का अच्छा साधन है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 13/554 दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 05/12.11.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत पण्डेर से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 13.02.2017 को बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 15 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में निशुल्क पटटा जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण है । पटटा जारी होने से पूर्व ही गैर निगराकार के पास पक्का आवासीय मकान है , ऐसी स्थिति में निशुल्क पटटा गैर निगराकार के पक्ष में जारी किया जाना अनुचित है । गैर निगराकार के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि प्रार्थना पत्र विनियमितिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है , जबकि वास्तव में विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान इत्यादि नहीं बना हुआ है , ऐसी स्थिति में विनियमितीकरण का मामला नहीं बनता है तथा गैर निगराकार को जानबूझकर अनुचित लाभ प्राप्त करने व देने की गरज से विवादित पटटा जारी किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त पटटे की जमीन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी खुली नीलामी से पटटे / भूमि विक्रय के संबंध में आदेश दिये थे जिसमें ग्राम पंचायत पण्डेर पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर नियम विरूद्व पटटा जारी कर दिया तो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पटटा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है । गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि है एवं आय का अच्छा साधन है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 13/554

दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 05 / 12.11.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार गाडोलिया लौहार है । पटटा जारी होने के बाद पक्का मकान बनाया है । गैर निगराकार के पास पूर्व में कोई मकान नहीं है । ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा एक साथ पटटे जारी किये जाने से फोटोस्टेटे नोटशीट पर कार्यवाही की गयी । प्रकिया पूर्ण की जाकर पटटे जारी किये गये। अतः निगराकार की निगरानी निरस्त फरमायी जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत आबादी भूमि का निशुल्क आंवटन दिनांक 29.01.2013 को किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 इस प्रकार है – " भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन (1) पंचायत, गांव, आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को , गांव के कारीगरों , श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों , एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं गृह स्थल / गृह नहीं है और ऐसे बाढगस्तों को भी जिनके गृह बह गयें या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निशुल्क आवंटन कर सकेगी । (और ऐसी भूमि का पटटा प्रारूप 2 3 ग में जारी किया जा सकेगा )) ।

सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर की पत्रावली सं. 05 दिनांक 12.11.2012 निर्णय दिनांक 20.10.2014 के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि श्रीमती सोहनी देवी पत्नी लादू लाल बैरवा निवासी पण्डेर के नाम पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (2) के अंतर्गत 30 गुणा 45 फीट कुल 1350 वर्ग फीट आबादी भूमि के भूखण्ड का निशुल्क पटटा जारी किया । ग्राम पंचायत पण्डेर की उक्त पत्रावली में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा कार्यवाही विवरण फोटोप्रति फोर्मेट में नाम व पते व अन्य सूचना काला स्याही के पेन से अंकित किये गये । पत्रावली में दिनांक 12.11.2012 को दायर करने व राजस्थान पंचायती राज नियम 146(2), 146(3), 147(1), 148(2) 149 के अंतर्गत प्रकिया का अंकन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158(1) के अंतर्गत श्रीमती सोहनी देवी पत्नी

लादूलाल बैरवा निवासी पण्डेर के नाम 30 गुणा 45 फीट कुल 1350 वर्ग फीट आबादी भूमि का निशुल्क भूखण्ड जारी करने का निर्णय पारित करने का अंकन किया हुआ है ।

पत्रावली में सोहनी देवी पत्नी लादूलाल बैरवा निवासी पण्डेर द्वारा दिनांक 12.11.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । उसमें पुराने मकान का पटटा बनाने हेतु निवेदन किया है , जबकि सोहनी देवी के नाम पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का निशुल्क पटटा जारी करने की कार्यवाही की गयी, जो विरोधाभास प्रकट करती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत पण्डेर के मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 20.08.2014 में पंचों द्वारा सोहनी देवी के नाम पर पटटा देने के संबंध में निशुल्क भूखण्ड का पटटा देने की अनुशंषा अंकित की हैं। पत्रावली में सोहनी देवी का बीपीएल में चयनित परिवार क्रमांक का शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा सोहनी देवी के बीपीएल में चयनित नहीं होते हुए भी निशुल्क पटटा जारी कर पटटा जारी कर दिया गया है जो विधि विरूद्व है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जो कार्यवाही की गयी , पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 149 में विहित प्रकिया की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं। वर्षों पुराने मकान का पटटा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (2) के अंतर्गत जारी करने का प्रावधान हैं। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 (1) के तहत निशुल्क पटटा विधि विरूद्व जारी किया हैं, जो अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर विरूद्व पत्रावली सं. 05 दिनांक 12.11.2012 में जारी पटटा दिनांक 20.10.2017 के क्रम में स्वीकार की जाकर गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पटटा सं. 13/554 दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 05/12.11.2012 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) में विहित शर्तों की पालना नहीं की जाने से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पटटा सं. 13/554 दिनांक 20.10. 2014 पत्रावली सं. 05/12.11.2012 को अपास्त किया जाता है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पटटा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उल्लेखित किया जावे । निर्णय प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22/2/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा